किस्म मुकदमा – अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम   प्रकरण सं.460/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
15.04.2026	पत्रावली पेश हुई । प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित । प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी । प्रार्थीगण अधिवक्ता ने दौराने बहस प्रार्थनापत्र मे अंकित बिन्दुओ को दोहराते हुए निवेदन किया कि ग्राम रूपाहेली प.म.रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा के आ.न. 2112 लगायत 2119,2152,2153,2155 लगायत 2160, 2173, 2174, 2180, 2638/2163 कुल किता 20 क्षेत्रफल 9.5976 हेक्टेयर भूमि मे खातेदार प्रार्थीया 01 संतोक के बजाय संतोष पत्नि मदन नायक , प्रार्थीया सं.02 राखी के बजाय पिंकी पुत्री मदन नायक ,प्रार्थीया सं.03 असिका के बजाय ईशिका पुत्री गोपाल नायक संशोधित किया जाकर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया । तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट पत्रांक / भू.अ./2025/3534 दिनांक 03.11.2025 से प्राप्त हुई । रिपोर्ट अनुसार संतोक पत्नि मदन नायक के बजाय संतोष पत्नि मदन नायक , राखी के बजाय पिंकी पुत्री मदन नायक ,असिका के बजाय ईशिका पुत्री गोपाल नायक किये जाने की अनुशंषा की है । पत्रावली का अवलोकन किया गया । तहसीलदार भीलवाड़ा की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया । विधि का अनुशीलन किया गया । अत: प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है । ग्राम रूपाहेली प.म.रूपाहेली तहसील व जिला भीलवाड़ा के आ.न. 2112 लगायत 2119,2152,2153,2155 लगायत 2160, 2173, 2174, 2180, 2638/2163 कुल किता 20 क्षेत्रफल 9.5976 हेक्टेयर भूमि मे संतोक पत्नि मदन नायक के बजाय संतोष पत्नि मदन नायक , राखी के बजाय पिंकी पुत्री मदन नायक , असिका के बजाय ईशिका पुत्री गोपाल नायक दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है । तहसीलदार भीलवाड़ा को राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद हेतु तहरीर जारी हो । पत्रावली फैशल सुमार हो नम्बर से कम हो दफ्तर दाखिल हो । उपखण्ड अधिकारी भीलवाड़ा	